।। कार्यालय पुलिस उप–अधीक्षक वृत्त शहर, श्रीगंगानगर

क्रमांक :–सीएम हैल्प लाईन/जन सम्पर्क/2020/ 3891 दिनाक :–23.09.2020

प्रभारी
सीएम हैल्प लाईन, राजस्थान जयपुर ।

विषयः–सीएम हैल्प लाईन परिवाद द्वारा परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी वार्ड न. 14 जयपुर के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः–सीएमहैल्पलाईन/जनसम्पर्क/2020/09200678617238 की पालना में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसगानुसार निवेदन है कि जनसम्पर्क/सीएम हैल्पलाईन परिवाद द्वारा परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी वार्ड न. 14 जयपुर के सम्बन्ध में परिवाद प्राप्त हुआ जिस पर रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहरनगर से प्राप्त की गई। जो मुताबिक रिपोर्ट इस प्रकार से है कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी वार्ड न. 14 जयपुर बाबत् इस संबध मे प्राप्त हुई दिनांक 19/08/2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "नशामुक्ति केंद्र में युवक की मौत; बेरहमी से पिटाई करते नजर आए लोग, वीडियो हुआ वायरल" के सम्बन्ध में वगैरा वगैरा परिवाद प्राप्त हुई

परिवाद के कम मे प्रकरण सख्या 257 दिनांक 18.08.2020 धारा 302, 143 भादस पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर दर्ज है जिसका हालात मुकदमा इस प्रकार से है कि दिनांक 18.08.2020 को परिवादी श्री विकास कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट उम्र 37 साल निवासी चक 4 ई ई ए तहसील पदमपुर श्री गंगानगर ने उपस्थित थाना होकर एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी चक 4 ईईए पुलिस थाना घमूडवाली श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी के भाई नरेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक 4 ई ई ए घमूडवाली को दिनांक 24.07.2020 को आशा नशा मुक्ति एंव पुनर्वास केन्द्र कालिया रोड श्रीगंगानगर मे ईलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। दिनांक 28.07.2020 को रात को करीब डेढ बजे नशा मुक्ति केन्द्र से हमें फोन आया कि नरेश कुमार को मिर्गी का दौरा पड गया है, हम इसे अस्पताल लेकर जा रहे है आप भी आ जाओ, जबकि प्रार्थी के भाई को आज तक मिर्गी का दौरा नही पडा था। जिस पर प्रार्थी ने गंगानगर आकर फोन किया आप नरेश कुमार को कौन से हॉस्पीटल लेकर आये हो तो उन्होन कहॉ कि सरकारी अस्पताल में प्रार्थी तुरन्त ही सरकारी अस्पताल पहॅुचा तथा वहॉ पर पुछताछ की गई तो सरकारी अस्पताल से पता चला कि नशा मुक्ति वाले प्रार्थी के भाई को मृत अवस्था मे ही हास्पीटल में लेकर आये है तथा लाश छोडकर वापिस चले गये प्रार्थी हास्पीटल में आने से पूर्व ही हास्पीटल के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई थी और पुलिस भी हास्पीटल में आ गई थी। वहॉ पर प्रार्थी ने देखा कि नरेश के शरीर पर दोनो पेरो को नील पडी हुई थी और गुप्तआंग पर भी चोटे लगी होकर नीलनुमा निशान थें व दोनो गालो पर सुजन आकर निले हुए थे व नाक मे खुन लगा हुआ था। जिसके बाद में प्रार्थी ने पुलिस को बताया था परन्तु पोस्टमार्टम कर लाश प्रार्थी को दे दी गई थी। उसके बाद प्रार्थी अपने भाई की लाश को अपने गाव ले गया और गांव में जाने पर प्रार्थी के भाई की लाश का अंतिम सस्कार करने के लिए जब हम नहलाने लगे तो गुप्ताग पर भी चोट के निलनुमा निशान लगे थें जिससे पता चला कि नशा मुक्ति केन्द्र वालो ने प्रार्थी के भाई के गुप्तागों पर प्राण धातक चोटे पहुचाई और इन चोटो के कारण प्रार्थी के भाई की मृत्यु हुई है। प्रार्थी ने फोन करके नशा मुक्ति केन्द्र वालो से बात की तो उन्होने कहा कि हम गंगानगर छोडकर अबोहर आ गये है। जिनकी ऐसी बातो से भी यह स्पष्ट जाहिर होता है। कि प्रार्थी के

भाई की साधारण मौत नही हुई है। दिनांक 31.07.2020 को पुलिस नशा मुक्ति केन्द्र पर गई थी जिसमें लगे सीसीटीवी कैमरो में रिकोर्डिग देखी तो उसमें भी नशा मुक्ति केन्द्र वाले संचालक लवप्रीत वालिया उर्फ लवी वालिया व वहॉ का कर्मचारी गोल्डी, कमल, धीरज निवासी खाटा, नवीन पुनियॉ वा दो अन्य प्रार्थी के भाई के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे है। उक्त सभी आरोपीगण के द्वारा एक राय होकर मेरे भाई नरेश के साथ मारपीट कर उसको चारपाई से बाध कर उसकी हत्या कर दी गई। अतः उक्त मुल्जिमान के विरूद्व हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जावें। आदि आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 257/2020 धारा 302, 143 भादस में दर्ज कर तफतीश श्री हनुमाना राम पुनि के द्वारा शुरू की गई।

दौराने अनुसंधान थानाधिकारी सदर श्री हनुमाना राम पुनि के द्वारा प्रकरण हाजा के घटना के संबंध में परिवादी के द्वारा दर्ज करवाई गई मर्ग पत्रावली प्राप्त कर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो अवल मृतक नरेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी 4 ईईए थाना घमूडवाली की मृत्यु के उपरांत दिनांक 29.07.2020 को पुलिस थाना सदर पर मर्ग सख्या 26 दिनांक 29.07.2020 धारा 174 सीआरपीसी में दर्ज होकर जांच कर्ता अधिकारी के द्वारा मृतक की लाश का राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर से नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जाकर लाश वारिसान को सुपुर्द की गई थी मर्ग हाजा में जांच जारी थी मृतक की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले एमजे एस एन बत्रा के कोरोना पाजिटव होने के कारण जांच अधिकारी के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार नही होने के कारण शामिल नही की जा सकी थी। प्रकरण हाजा में अनुसधान अधिकारी हनुमाना राम पुनि के द्वारा परिवादी वा गवाहान से तफतीश कर बयान लेखबद्व किये गये व मृतक नरेश कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्राप्त कर बाद अवलोकन किया गया तो मृतक नरेश कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल 5 चोट आना अंकित है जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण हाजा में परिवादी व गवाहान की मौजुदगी मे घटना स्थल का निरक्षण किया जाकर नक्शा मौका हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया व अनुसंधान से आरोपीगण लवप्रीत उर्फ लवी वालिया, गिरिश उर्फ गोल्डी व कमल शर्मा के विरूद्व जुर्म धारा 302, 143 भादस प्रमाणित माना है।

अजाबाद श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक श्रींगगानगर के आदेश कमांक 2446—49 दिनांक 19.08.2020 की पालना में प्रकरण का अग्रीम अनुसंधान मन् थानाधिकारी राजेश कुमार पुनि पुलिस थाना जवाहरनगर को करने के आदेश फरमाये जाने पर श्रीमान के आदेश की पालना में मन थानाधिकारी राजेश कुमार पुनि द्वारा प्रकरण हाजा में परिवादी व गवाह से तफतीश की गई व आरोपीगण लवप्रीत उर्फ लवी वालिया, गिरिश उर्फ गोल्डी व कमल शर्मा से गहनता से पूछताछ की गई। प्रकरण हाजा में तफतीश पुलिस, बयानात गवाहान पत्रावली पर उपलब्ध नरेश जांखड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाये गये चोटे एंव घटना स्थल से सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आरोपगण 1. लवप्रीत उर्फ लवी वालिया पुत्र श्री प्रभजीत सिह जाति वालिया उम्र 30 साल निवासी बी 03 अम्बिका सीटी पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर हाल सचालक आशा नशा मुक्ति एव पूनर्वास केन्द्र कालिया रोड श्रीगंगानगर 2. कमल शर्मा पुत्र श्री शिवराम शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 58 साल निवासी प्लाट नम्बर 109 गली नम्बर 3 गुरू गोविन्द सिह नगर, ढाबा लुहारा रोड लुधियाना पंजाब हाल आशा नशा मुक्ति केन्द्र कालिया रोड श्रीगंगानगर **3.** गिरिश उर्फ गोल्डी पुत्र श्री सुन्दर जाति अरोडा उम्र 30 साल निवासी 2 एफ ब्लाक मस्जीद कॉलोनी पुलिस थाना कोतवालीहाल आशा नशा मुक्ति केन्द्र कालिया रोड श्रीगंगानगर के विरूद्व अपराध धारा 302, 143 भादस बखुबी प्रमाणित पाये जाने पर तीनो आरोपीगण को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। प्रकरण हाजा में गिरफतार मुल्जिमान से उनके अन्य साथियो के बारे में गहनता से पूछताछ की जानी है वा मृतक नरेश कुमार को बैड से बांधनें मे प्रयोग लिये गये आलामात के संबंध में बरामदगी बाबत गिरफतार आरोपी लवप्रीत

उर्फ लवी वालिया, गिरिश उर्फ गोल्डी व कमल शर्मा को कल दिनांक 20.08.2020 को पेश अदालत कर हर तीनो आरोपीगण का 1—1 योम पीसी रिमाण्ड हासिल किया जाकर आरोपीगण हर तीनो की इतिला से मृतक नरेश कुमार को मारपीट कर हत्या किये गये घटनास्थल की तस्दीक कर फर्द तस्दीक घटनास्थल मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई तीनो आरोपीगण से मृतक नरेश कुमार को बैड से बांधनें मे प्रयोग लिये गये आलामात के संबंध में बार बारे पूछताछ की गई जिसपर आरोपी लवप्रीत उर्फ लवी वालिया ने मृतक नरेश कुमार को बैड से बांधनें मे प्रयोग लिये गये आलामात बाबत इतिला दी जिसपर आरोपी द्वारा दी गई फर्द इतिला जुदागाना मुर्तिब की गई । तथा आरोपी लवप्रीत उर्फ लवी वालिया जो आशा नशा मुक्ति एव पूनर्वास केन्द्र कालिया रोड श्रीगंगानगर का संचालक एंव प्रकरण का मुख्य आरोपी है जिससे अन्य वाछिंत आरोपीगण नवीन, धर्मवीर आदि की मौजुदगी के बारे मे गहनता से अनुसंधान किया जाना शेष है। दिनांक 21.08.2020 को गिरफ्तार शुदा आरोपीगण कमल शर्मा व गिरिश उर्फ गोल्डी से तक्मील तफ्तीश पुर्ण होने पर माननीय न्यायलय मे पेश कर 15 योम जेसी मे भिजवाया वा आरोपी लवप्रीत उर्फ लवी वालिया का 02 योम पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया । आरोपी नवीन कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई उम्र 30 साल निवासी गांव 4 एफएफबी कंवरपुरा पुलिस थाना गजसिंहपुर जिला श्री गंगानगर के विरूद्व अपराध धारा 302, 143 भादस बखुबी प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 21.08.2020 को समय 08.40 पीएम पर जरिये फर्द गिरफतार किया गया। आरोपी नवीन कुमार की इतिला से मृतक नरेश कुमार को मारपीट कर हत्या किये गये घटनास्थल की तस्दीक कर फर्द तस्दीक घटनास्थल मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई आरोपी की विस्तृत पूछताछ रिर्पोट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई आरोपी नवीन कुमार से तक्मील तफ्तीश पुर्ण कर कल दिनांक 22.08. 2020 को पेश न्यायलय कर जेसी मे भिजवाया गया । आरोपी लवप्रीत उर्फ लवी वालिया जो 02 योम पीसी रिमाण्ड था की इतिला पर घटना मे मृतक को मारपीट के प्रयोग मे लिया गया एक साफा , एक पाजामा , एक मृतक बनीयान वा नशा मुक्ति केन्द्र का एक इण्डोर रजिस्टर को बतौर बजह सबूत कब्जा पुलिस मे लिये गये बरामदगी स्थल का नक्शा मौका हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया एंव प्रकरण हाजा मे घटना कारित करने वाले सभी मुलजिमान बाबत जानकारी एंव फोटोग्राफ के आधार पर पहचान करवाई गई आरोपी से पूछताछ कर विस्तृत पूछताछ रिर्पोट तैयार कर शामिल पत्रावली की गईआरोपी लवप्रीत उर्फ लवी वालीया को जेसी करवाया गया । घटना की फोटो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग से निकाली जाकर कुल 18 फोटो शामिल पत्रावली की गई । प्रकरण मे मृतक नरेश कुमार के दौराने पोस्ट मार्टम मेडीकल ज्यूरिष्ट महोदय द्वारा परिर्जव जार ए,बी,सी बाबत एफएसएल बीकानेर वा मेडिकल कॉलेज बीकानेर के नाम अग्रषेण पत्र जारी करवाकर जांच हेत जमा करवाये जा चुके है।

अन्य वाछिंत आरोपीगण 1. सुखबीर सिंह उर्फ काकू पुत्र श्री राजचिन्द्र सिंह जाति मजबी सिख उम्र करीब 25 साल निवासी गांव बलूआना पेट्रोल पम्प के पास वाली गली नजदीक मकान सुरेन्द्र सिंह कम्बो सिख पुलिस थाना सदर अबोहर 2. धीरज पुत्र श्री मुरली जाति अरोड़ा निवासी गांव खाटलबाना पीएस हिन्दुमलकोट 3. धर्मवीर नायक निवासी रायसिंहनगर की तलाश हेतू मन् थानाधिकारी ने मय जाप्ता के तथा श्री हनुमानाराम पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना सदर श्री गंगानगर द्वारा मय जाप्ता शहर मे सभावित स्थानो वा गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुर वा अबोहर वा आसपास के ऐरिया मे की गई मगर आरोपीगण अभी तक दस्तयाब नही हुए शेष आरोपीगण की दस्तयाबी बाबत मुखबीर मामूर किये गये । प्रकरण मे मे मृतक नरेश कुमार के दौराने पोस्ट मार्टम मेडिकल ज्यूरिष्ट राजकीय चिकित्सालय श्री गंगानगर के द्वारा परिर्जव किये जार ए,बी,सी बाबत एफएसएल बीकानेर वा मेडिकल कॉलेज बीकानेर के नाम अग्रषेण पत्र जारी करवाकर जांच हेतू वजह सबूत जमा करवाया जा चुका है।

तत्पश्चात श्री राजेश कुमार पु.नि. थानाधिकारी जवाहरनगर वा श्री हनुमाना राम पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना सदर श्री गंगानगर के दिनांक 24.08.2020 को कोरोना पोजीटिव होने के कारण जैर इलाज चल रहा था आज दिनांक 07.09.2020 को स्वस्थ होकर उपस्थित आया हुं प्रकरण मे वाछिंत मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतू पुनः संभावित नम्बरो की कॉल डिटेल प्राप्त

की जा रही है। वाछिंत मुलजिमान की गिरफ्तारी अतिशिघ्र की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी अनुसंधान जारी है।

भवदीय,
एसडी
(इस्माईल खान)
आरपीएस
पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त शहर,श्रीगंगानगर।